पत्रांक- 1/पी0एम0सी0/विविध/805/2008-..331...../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक : ई0 राम पुकार रंजन
अभियंता प्रमुख(मध्य)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
उप सचिव, काडा, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-.....11/04.../2015.

विषय : बिहार भवन एवं अनय सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण कामगार के निबंधन के संबंध में ।

प्रसंग : बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्र ज्ञाप सं0 33 दिनांक 23.01.2015.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि निर्माण कामगारों को कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनका निबंधन कराया जाना है । इस उद्देश्य को गति प्रदान करने के लिए अन्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ-साथ राभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता/सभी निर्माण कार्य विभाग को उनसे संबंधित निर्माण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रासंगिक पत्र, जो विभागीय वेबसाईट www.wrd.bih.nic.in पर भी uploaded है, के द्वारा निर्माण कामगारों की कोटि, निर्माण कामगारों का पंजीयन, निबंधन की प्रक्रिया, जिला स्तरीय सत्यापन समिति एवं प्रमंडल स्तरीय अपील समिति, निबंधित निर्माण कामगार का अंशदान, उपकर की राशि की कटौती, निबंधन एवं सेस के लक्ष्य का निर्धारण तथा जिलावार नोडल पदाधिकारी (श्रम अधीक्षक) का मोबाइल सं0 आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है ।

अतएव अनुरोध है कि पत्र में दिए गए निदेश का अनुपालन अपने परिक्षेत्राधीन सभी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन,

अनु0- यथोक्त ।

(राम पुकार रंजन) 01/04/15
अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक- 331 /पटना, दिनांक- 01/04/2015

सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ उड़नदस्ता अंचल, पटना/ सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राम पुकार रंजन) 01/04/15
अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक- 331 /पटना, दिनांक- 01/04/2015

प्रभारी कम्प्युटर सेल को प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति के साथ विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित ।

अनु0- यथोक्त ।

(राम पुकार रंजन) 01/04/15
अभियंता प्रमुख(मध्य)

(55)

पत्र संख्या– बी०सी०डब्लू०सी०–18 / 2015श्र०सं०–
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,
सचिव,
श्रम संसाधन विभाग ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक–

विषयः– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण कामगार के निबंधन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्माण कामगारों का निबंधन किया जा रहा है । निर्माण कामगार के निबंधन कार्य में गति लाने के उद्देश्य से पूर्व से घोषित निबंधन पदाधिकारी के अतिरिक्त विभागीय अधिसूचना आदेश –30 दिनांक– 21.01.2015 के द्वारा निम्न पद धारकों को निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
सभी सहायक श्रमायुक्त	अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी निर्माण कामगारों के लिए
सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक)	अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी निर्माण कामगारों के लिए
सभी श्रम अधीक्षक	अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी निर्माण कामगारों के लिए
सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक)	अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी निर्माण कामगारों के लिए
नगर आयुक्त, सभी नगर निगम	नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं के लिए
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्	नगर परिषद् द्वारा संचालित योजनाओं के लिए
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत	नगर पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं के लिए
पंचायत सचिव, सभी ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं के लिए
सभी सहायक अभियंता / सभी कनीय अभियंता, सभी निर्माण कार्य विभाग	संबंधित निर्माण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए

उपरोक्त के आलोक में निर्माण कामगारों के निबंधन हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है :–

2. निर्माण कामगारों की कोटि

बिहार राज्य में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं :– (1) भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, (2) राज मिस्त्री, (3) राज मिस्त्री का हेल्पर, (4) बढ़ई, (5) लोहार, (6) पेंटर (7) भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन, (8) भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक, (9) सेंट्रिंग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, (10) गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, (11) कंक्रीट मिश्रण

गैर सरकारी प्रे०सं०......740
दिनांक......26-03-15
मु० अभि० यो० एवं मोनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले, (12) महिला कामगार (रेजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है, (13) रौलर चालक, (14) सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर (15) सड़क, पुल, बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, (16) बांध, पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, (17) भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि (18) ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, (19) रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार (20) मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण कामगार ।

उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुक्त हैं । इसमें निर्माण संबंधित कार्य में और बढ़ोत्तरी हो सकती है ।

परन्तु संगठित क्षेत्र के वैसे निर्माण कामगार जो मासिक वेतन पर स्थायी रूप से केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में नियोजित हैं, इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा उपरोक्त सभी कोटि के कार्यों में लगे स्वनियोजित कामगार, " निर्माण कामगार" की कोटि में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नहीं आते हैं ।

3. निर्माण कामगारों का पंजीयन

कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन कराना आवश्यक है । निबंधन के पश्चात् ही उन्हें बोर्ड के अन्तर्गत चलायी जा रही योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है ।

(क) निबंधन की पात्रता :–

वैसे निर्माण कामगार जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं । उम्र के सत्यापन के लिए जन्म एवं मृत्यु निबंधक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक सिविल सर्जन के स्तर से नीचे का नहीं हो, अथवा स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता पहचान पत्र मान्य है ।

(ख) आवेदक को वर्ष में न्यूनतम 90 दिनों अथवा 50 दिन मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत निर्माण श्रमिकों के लिए कार्य करने का प्रमाण पत्र जो नियोजक / संवेदक द्वारा दिया गया हो अथवा भवन निर्माण मजदूर संघ अथवा सहायक श्रमायुक्त / उप श्रमायुक्त / श्रम अधीक्षक / श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा अथवा आवेदन पत्र पर अंकित कराना होगा ।

आवेदक को इस आशय का स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा कि वे पहले से किसी अन्य राज्य में अथवा अन्य जिले में निबंधित नहीं है । 20/– रू० (रूपये बीस) आवेदन शुल्क तथा 02 फोटो भी विहित आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा ।

आवेदन प्राप्त होने पर जिला स्तर पर गठित सत्यापन समिति द्वारा विचार करने पर तथा आवेदक को योग्य पाने पर निबंधन प्रत्येक जिला के निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । असंतुष्ट कामगार जिनका आवेदन अस्वीकृत किया गया हो प्रमण्डलीय अपील समिति (उप श्रमायुक्त जिसके संयोजक हैं) के समक्ष अपील कर सकेंगे ।

निर्माण कामगारों को अपना आवेदन पत्र स्वंय निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसका रसीद उन्हें दिया जायेगा ।

4. निबंधन पदाधिकारी :– निम्नांकित पदाधिकारी निर्माण कामगारों के निबंधन हेतु निबंधन पदाधिकारी घोषित किये गये हैं :–

सहायक श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) / श्रम अधीक्षक / श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) / श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी / नगर आयुक्त (सभी नगर निगम) / कार्यपालक पदाधिकारी (सभी नगर परिषद्) / कार्यपालक पदाधिकारी (सभी नगर पंचायत) / पंचायत सचिव (सभी ग्राम पंचायत) / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता (सभी निर्माण कार्य विभाग) ।

5. निबंधन की प्रक्रिया

उपरोक्त सभी निबंधन पदाधिकारी निर्माण कामगारों का आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक–I) में प्राप्त कर जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित करेंगे तथा जिला सत्यापन समिति (अनुलग्नक–II) के सत्यापन के पश्चात् संबंधित श्रम अधीक्षक जो नोडल पदाधिकारी भी घोषित हैं, प्रत्येक निर्माण कामगार के निबंधन हेतु निबंधन संख्या जो परिचय पत्र पर अंकित होगा, निबंधन पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे । निबंधन पदाधिकारी प्राप्त निबंधन संख्या के आलोक में निर्माण कामगारों का निबंधन सुनिश्चित करेंगे और परिचय पत्र निर्माण कामगारों को उपलब्ध करायेंगे । सभी निबंधन पदाधिकारी बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 266 (8) के अनुसार प्रपत्र–XXXIII (अनुलग्नक–III)में निबंधन संबंधी विवरणी संधारित करेंगे ।

6. (क) जिला स्तरीय सत्यापन समिति

निर्माण कामगारों से प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिले में जिला स्तरीय सत्यापन समिति गठित है, जो निम्नवत् है :–

(i)	जिले में पदस्थापित श्रम अधीक्षक सह निबंधन पदाधिकारी	–	संयोजक
(ii)	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(iii)	निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(iv)	निर्माण कार्य करने वाले नियोजक संघ के प्रतिनिधि जिसके अन्तर्गत सरकारी कार्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं	–	सदस्य

(ख) प्रमण्डल स्तरीय अपील समिति

जिला सत्यापन समिति के निर्णय से असंतुष्ट वैसे निर्माण कामगार जिनका आवेदन पत्र निबंधन योग्य नहीं पाया गया हो, प्रमण्डल स्तरीय अपील समिति में अपील कर सकेंगे । प्रमण्डल स्तरीय अपील समिति निम्नवत् है :–

(i)	प्रमण्डल में पदस्थापित उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त	–	संयोजक
(ii)	प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(iii)	निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि (प्रमण्डल स्तरीय अध्यक्ष / सचिव)	–	सदस्य
(iv)	निर्माण कार्य कराने वाले नियोजक संघ के प्रमण्डल स्तरीय प्रतिनिधि जिसके अन्तर्गत सरकारी कार्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, के नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य

1548

7. निबंधित निर्माण कामगार का अंशदान :—

निबंधित निर्माण कामगार को प्रत्येक माह रू० 20/—(रूपये बीस) का अंशदान भी जमा करना होगा, तभी वे बोर्ड के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे ।

8. उपकर (Cess) :—

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 एवं नियमावली, 1998 के तहत निर्माण कार्यो पर भारत सरकार के अधिसूचना संख्या—2899 दिनांक— 29.09.1996 द्वारा निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर निर्धारित किया गया है । बिहार राज्य में लेखा वर्ष 2007—08 से ही उपकर देय है । प्रत्येक विभाग संवेदको को भुगतान के समय एक प्रतिशित (1%) उपकर (Cess) काट कर ही भुगतान करें तथा काटे गये रकम को सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रेम संसाधन विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किये जाने का प्रावधान है ।

प्रत्येक निविदा में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि कुल प्राक्कलित राशि में से वास्तविक खर्च का एक प्रतिशित (1%) निर्माण कामगारों के लिए उपकर (Cess) के रूप में देय है जो बिल के भुगतान के समय अग्रिम रूप में संबंधित मुख्य अभियंता / अभियंता द्वारा काट कर सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाता है ।

इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या—एम—4—01/2011— 4536/वि० (2), पटना दिनांक— 06.05.2013 (अनुलग्नक—Iv) के द्वारा राज्य के सभी कोषागार पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की स्थापना के समय से ही निर्माण कामगारों के कल्याण हेतु वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करनी है । इस हेतु प्रत्येक सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है, कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर (1% Cess) वसूल किया जाना है । निर्माण कार्य से संबंधित विपत्रों को पारित करने के पूर्व आश्वस्त हो लेंगे की पूरे निर्माण व्यय पर एक प्रतिशत उपकर (1% Cess) की राशि की कटौती विपत्र की राशि से कर ली गयी है । सभी नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) भवन या मकान का नक्सा के अनुमोदन के समय यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि एक प्रतिशत उपकर (1% Cess) भुगतान संबंधित द्वारा किया जा रहा है । प्रश्नगत उपकर (Cess) की राशि की कटौती किये बिना विपत्रों को किसी भी परिस्थिति में पारित नहीं करें ।

क्र0 सं0	जिला (क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त राशि)	2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या	सेस की राशि, जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक (लाख में)	निबंधन (01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक)	पूर्व का निबंधन	निबंधन का कुल योग	प्रतिशत (%) अबतक कुल निबंधन एवं कुल जनसंख्या पर आधारित	दिनांक– 31.3.2015 तक लक्ष्य	
								निबंधन (लाख में)	सेस (लाख में)
				बेगूसराय प्रमण्डल					
22	मुँगेर	13,59,054	39.19	1460	4075	5535	0.4	0.75	200.00
23	लखीसराय	10,00,717	0.00	1164	1065	2229	0.22	0.75	200.00
24	खगड़िया	16,57,599	0.00	1506	611	2117	0.12	0.75	200.00
25	शेखपुरा	6,34,927	0.10	1002	351	1353	0.21	0.75	200.00
26	जमुई	17,56,078	64.84	601	746	1347	0.07	1.00	200.00
27	बेगुसराय	29,54,367	92.37	3534	932	4466	0.15	1.00	400.00
				गया प्रमण्डल					
28	गया	4379383	147.45	3420	7373	10793	0.24	1.00	600.00
29	जहानाबाद	1124176	65.60	3397	2113	5510	0.49	0.75	200.00
30	अरवल	699563	0.00	1145	882	2027	0.28	0.75	200.00
31	नवादा	2216653	68.57	641	2391	3032	0.13	1.00	200.00
32	औरंगाबाद	2511243	68.42	1062	2048	3110	0.12	1.00	200.00
				तिरहुत प्रमण्डल					
33	मुजफ्फरपुर	4778610	60.75	1599	4593	6192	0.12	1.00	600.00
34	वैशाली	3495249	145.20	4350	2727	7077	0.2	1.00	200.00
35	सीतामढ़ी	3419622	15.03	802	3496	4298	0.12	1.00	200.00
36	शिवहर	656916	3.31	645	529	1174	0.17	0.75	200.00
37	बेतिया	3922780	56.42	607	2158	2765	0.07	1.00	200.00
38	मोतिहारी	5082868	76.07	3909	4050	7959	0.15	1.00	200.00
			2457.78						
	अन्य विभागों से सीधे प्राप्त		5306.64						
	योग	103804637	7764.30	90153	100733	190886	0.18	0.18	
अप्रैल– 2014, से जून–2014 तक का समेकित प्राप्त सेस की राशि (क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं अन्य विभाग)			4461.03						
			12225.33					35.00	10000.00

10. राज्य के सभी जिलों के श्रम अधीक्षक, निर्माण कामगारों के निबंधन हेतु नोडल पदाधिकारी घोषित हैं, का मोबाईल संख्या (अनुलग्नक–v) संलग्न है ।

विश्वासभाजन
ह०/–
(एस० सिद्धार्थ)

9. निबंधन एवं सेस के लक्ष्य का निर्धारण

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अभीतक जो भी निबंधन एवं सेस संग्रह की सूचना प्राप्त हुई है वह उत्सावर्धक नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि निबंधन एवं सेस संग्रह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए किए जायें ताकि वांछित फलाफल की प्राप्ति हो सके ।

अतः निबंधन एवं प्राप्त सेस के आलोक में जिलावार निबंधन एवं सेस का लक्ष्य का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

क्र0 सं0	जिला (क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त राशि)	2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या	सेस की राशि, जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक (लाख में)	निबंधन (01 अप्रैल. 2014 से 31 दिसम्बर . 2014 तक)	पूर्व का निबंधन	निबंधन का कुल योग	प्रतिशत (%) अबतक कुल निबंधन एवं कुल जनसंख्या पर आधारित	दिनांक– 31.3.201 तक लक्ष्य	
								निबंधन (लाख में)	सेस (लाख मे
				पटना प्रमण्डल					
1	पटना (बाढ़ सहित)	57,72,804	154.92	8368	9732	18100	0.31	1.00	600.00
2	बक्सर	17,07,643	28.99	5394	345	5739	0.33	1.00	200.00
3	भोजपुर	27,20,155	82.87	3451	1394	4845	0.17	1.00	200.00
4	रोहतास	29,62,593	185.24	3404	5511	8915	0.3	1.00	200.00
5	कैमूर	16,26,900	208.94	3220	2231	5451	0.33	0.75	200.00
6	नालंदा	28,72,523	95.46	4669	3760	8429	0.29	1.00	200.00
				सारण प्रमण्डल					
7	छपरा	39,43,098	103.76	3310	3182	6492	0.14	1.00	400.00
8	सिवान	33,18,176	20.52	2324	623	2947	0.08	1.00	200.00
9	गोपालगंज	25,58,037	15.74	2452	680	3132	0.12	1.00	200.00
				दरभंगा प्रमण्डल					
10	दरभंगा	39,21,971	41.99	3490	1139	4629	0.11	1.00	400.00
11	समस्तीपुर	42,54,782	205.27	1031	755	1786	0.04	1.00	200.00
12	मधुबनी	44,76,044	143.38	2850	1399	4249	0.09	1.00	200.00
				भागलपुर प्रमण्डल					
13	भागलपुर	30,32,226	102.09	4318	14389	18707	0.61	1.00	400.00
14	बाँका	20,29,339	0.70	778	9200	9978	0.49	1.00	200.00
				कोशी प्रमण्डल					
15	सहरसा	18,97,102	85.40	1242	2382	3624	0.19	0.75	400.00
16	मधेपुरा	19,94,618	6.74	959	595	1554	0.07	0.75	200.00
17	सुपौल	22,28,397	0.00	1211	643	1854	0.08	0.75	200.00
				पूर्णियाँ प्रमण्डल					
18	पूर्णियाँ	32,73,127	19.94	3201	932	4133	0.12	1.00	400.00
19	अररिया	28,06,200	0.00	1364	267	1631	0.05	1.00	200.00
20	किशनगंज	16,90,948	13.32	779	383	1162	0.06	0.75	200.00
21	कटिहार	30,68,149	38.89	1494	1051	2545	0.08	1.00	200.00

ज्ञाप संख्या— बी०सी०डब्लू०सी०—18 / 2015श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/—

(एस० सिद्धार्थ)

ज्ञाप संख्या— बी०सी०डब्लू०सी०—18 / 2015श्र०सं०— 33 पटना, दिनांक— 23.01.2015

प्रतिलिपि— सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

23/1/2015

(एस० सिद्धार्थ)

प्रारूप-सत्ताईस एवं अठाईस (समेकित) अनुलग्नक–

लाभुक के रूप में निबंधन हेतु आवेदन-सह-स्वीकृत पत्र

देखें नियम-266 (4) एवं (7)

1. नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. स्थायी पता : .....
.....
4. वर्तमान पता : .....
.....
5. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हैं : हां/नहीं
6. वैवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित/विधवा : .....
7. जन्म तिथि : ..... उम्र : .....
8. ई.एस.आई./भविष्य निधि संख्या : .....
9. उन नियोजकों का नाम एवं पता जिनके लिए पिछले 12 महीनों में कार्य किया है ।

पासपोर्ट साइज फोटो

क्र० सं०	नियोजक का नाम एवं पता	कार्यस्थल का विवरण	क्या काम करते हैं	कितने दिन काम किया	नियोजक/श्र०प्र०दा० /श्रम अधीक्षक /पंजीकृत श्रमिक संघ के पदा० का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

10. निबंधित होने के लिए शुल्क : ..... रू०

11. कार्यालय का नाम जहां चंदा जमा किया गया है : .....

.....

12. आवेदक अगर पूर्व से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है : .....

.....

नामांकन पत्र

मैं निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को अधिकारिक आश्रित के रूप में नामित करता हूँ, जो मेरे बदले मेरी मृत्यु की स्थिति में निधि से राशी देय रकम जो मेरे लाभ के रूप में है ग्रहण करेंगे :-

क्र० सं०	नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम एवं पता	सदस्य से संबंध	नामांकित व्यक्ति की उम्र	नामांकित को दी जानेवाली राशि
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही है ।

तिथि :

स्था :

कामगार का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंजीयन आदेश

जांच-पड़ताल के उपरांत आवेदक को पंजीयन की स्वीकृति दी जाती है ।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

नोट :- इस आवेदन-पत्र सह स्वीकृति-पत्र को जिला कार्यालय में ही लेजर में सुरक्षित रखा जाये ।

प्राप्ति रसीद

नाम : ..... पिता/पति का नाम : .....

पता : ..... से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्ति किया ।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर

श्रम संसाधन विभाग
विकास भवन, पटना

अनुलग्नक– (II)

पत्र सं0–बी0सी0डब्लू0सी0–86 / 2011 श्र0सं0–

संकल्प

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मे निर्माण मजदूरों का निबंधन किया जाता है। परन्तु कई बार निर्माण मजदूरों के अलावे अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी निबंधन हेतु प्रयास किया जाता है। ऐसा होने से निर्माण श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कर लेने की संभावना हो सकती है। बोर्ड का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि मात्र निर्माण श्रमिक ही बोर्ड मे निबंधित किये जांय।

इस संबंध मे निर्माण कामगारों के निबंधन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिनांक 28.11.2011 को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक बुलाई गयी थी। कल्याण बोर्ड की बैठक मे माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक मे आवेदन पत्रों के निष्पादन हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:–

(क) जिला स्तरीय सत्यापन समिति निम्न प्रकार होगी:–

1	जिले मे पदस्थापित श्रम अधीक्षक सह निबंधन पदाधिकारी	संयोजक
2	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
4	निर्माण कार्य कराने वाले नियोजक संघ के प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत सरकारी कार्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है	सदस्य

उपरोक्त समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उसका निष्पादन करेगी। जिसके आधार पर पंजीकरण किया जायेगा।

(ख) जिला सत्यापन समिति के निर्णय से असंतुष्ट वैसे कामगार जिनका आवेदन पंजीकरण योग्य नहीं पाया गया हो, प्रमंडल स्तरीय अपील समिति मे अपील कर सकेंगे।

(ग) प्रमंडल स्तरीय अपील समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

1	प्रमंडल मे पदस्थापित उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त	संयोजक
2	प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि (प्रमंडल स्तरीय अध्यक्ष / सचिव)	सदस्य
4	निर्माण कार्य कराने वाले नियोजक संघ के प्रमंडल स्तरीय प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत सरकारी कार्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, के नामित प्रतिनिधि	सदस्य

(घ) जिला सत्यापन समिति एवं प्रमंडल अपील समिति मे निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि का चयन कल्याण बोर्ड के परामर्श से श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा। साथ ही नियोजक संघ के प्रतिनिधियों का भी चयन यथानुसार श्रमायुक्त द्वारा नियोजक संघों से परामर्श के उपरान्त किया जायेगा।

(ङ) प्रमंडल स्तरीय अपील समिति में केवल वे ही निर्माण कामगार आवेदन कर सकेंगे, जिनका आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो।

(च) जिला सत्यापन समिति प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राप्ति के अधिकतम एक माह के अन्तर्गत कर लेगी, जिससे अर्हता प्राप्त कामगार का एक माह में निबंधन पूरा हो सके।

(छ) प्रमंडलीय अपील समिति उसके समक्ष दायर अपील आवेदन का एक माह के अन्दर निष्पादन करेगी तथा उसके बाद 15 दिन के अन्तर्गत कामगार का निबंधन पूरा कर लिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को राजपत्र के गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(संयुक्त सचिव)
श्रम संसाधन विभाग
बिहार,पटना।

ज्ञापांक – बी0सी0डब्लू0सी0–86 / 2011 श्र0स0– पटना दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(संयुक्त सचिव)
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

ज्ञापांक – बी0सी0डब्लू0सी0–86 / 2011 श्र0स0– पटना दिनांक–
प्रतिलिपि–बोर्ड के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(संयुक्त सचिव)
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

ज्ञापांक – बी0सी0डब्लू0सी0–86 / 2011 श्र0स0– 23 पटना दिनांक– 02.02.20
प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संयुक्त सचिव)
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

अनुलग्नक– (III)

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली–2005

प्रपत्र–xxxiii

पहचान पत्र पंजी

[देखें नियम–266(8)]

जिला का नाम--

क्रमांक	परिचय पत्र सं.	जारी करने की तिथि	कामगार का नाम एवं पता	जिला प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर	मंतव्य
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6

(538

पत्रांक-एम-4-01/2011-4536-/वि०(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अनुलग्नक– (IV)

प्रेषक,

मो० राउद,

संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,

विषय :- निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर (Cess) की कटौती के संबंध में ।

पटना-15, दिनांक 6/5/13

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" की स्थापना राज्य सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-18 के अन्तर्गत की गयी है । कल्याण बोर्ड को निर्माण कामगारों के कल्याण हेतु वित्त प्रबंधन की व्यवस्था स्वयं करनी है । इस हेतु प्रत्येक सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है, कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर (Cess) वसूल कर Welfare fund की व्यवस्था करनी है ।

वर्णित प्रावधान के तहत यह निदेश दिया जाता है कि निर्माण कार्य से संबंधित विपत्रों को पारित करने के पूर्व आश्वस्त हो लेंगे कि पूरे निर्माण व्यय पर 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि की कटौती विपत्र की राशि से कर ली गयी है । प्रश्नगत सेस की राशि की कटौती किए बिना विपत्रों को किसी भी परिस्थिति में पारित नहीं करें ।

विश्वासभाजन,

6/5/13

(मो० राउद)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-01/2011-4536-/वि०(2) पटना-15, दिनांक 6/5/13

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनकी विभागीय सचिका सं०-बी०सी०डब्लू०सी० 11/2012 में प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

6/5/13

(मो० राउद)

संयुक्त सचिव

अनुलग्नक– (V)

श्रम अधीक्षक जो नोडल पदाधिकारी घोषित है की मोबाईल संख्या जो निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	नोडल पदा० का मो० सं०
1	पटना	9661506062, 7631499034, 8797147623
2	नालन्दा	9431472632
3	बक्सर	9431852703
4	भोजपुर	9471449725
5	कैमूर	8294254447
6	रोहतास	9934199500
7	दरभंगा	9934839431
8	समस्तीपुर	9334390206
9	मधुबनी	9852951480
10	सिवान	8544005002
11	गोपालगंज	9835406471
12	छपरा	9473386286
13	गया	9386137117
14	अरवल	9430292569
15	जहानाबाद	9430292569
16	नवादा	9771925345
17	औरंगाबाद	9934487063
18	मुजफ्फरपुर	8409288079
19	सीतामढ़ी	9234776033
20	शिवहर	9234776033
21	वैशाली	9431391754
22	पश्चिम चम्पारण	9472356111
23	पूर्वी चम्पारण	8544336636
24	पूर्णियाँ	9934861590
25	अररिया	9162829557
26	कटिहार	9504398957
27	किशनगंज	8541859762
28	सहरसा	8877579933
29	सुपौल	8539935492
30	मधेपुरा	9122474292
31	बेगूसराय	9470094058
32	मुंगेर	9430457364
33	खगड़िया	9470451857
34	शेखपुरा	9955513996
35	जमुई	8083415279
36	लखीसराय	9430457364
37	भागलपुर	8544189455
38	बांका	9431461309